अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

सेवा में

सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हरियाणा राज्य में ।

कमांक 569 /स0क0 (4)/2016,
दिनांक 02-06-2016

विषय:— विभिन्न पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पैंशन का वितरण बैंकों/पोस्ट–आफिस एवं अन्य पैंशन वितरण एजेंसियों से करवाये जाने सम्बन्धी हिदायतें।

उपरोक्त विषय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, नारनौल के पत्र कमांक 2281 दिनांक 7–12–2015, कमांक 74 दिनांक 22–01–2016 के संदर्भ में ।

जैसाकि आपको ज्ञात ही है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पैंशन/भत्ता योजनाओं के अन्तर्गत लाभपात्रों में पैंशन का वितरण विभिन्न बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पैंशन वितरण एजेंसियों के माध्यम से करवाया जा रहा है । सरकार द्वारा दिनांक 18–02–2015 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी कार्यवृत की प्रति भेजते हुए हिदायतें जारी की हुई है कि लाभपात्र द्वारा तीन मास में एक बार Biometric/physical (by debit vochar) के माध्यम से पैंशन प्राप्त की जानी होती है और यदि उन द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो तीन महीनों की पैंशन राशि बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पैंशन वितरण एजेंसी द्वारा विभाग को वापिस भेज दी जायेगी । लाभपात्रों द्वारा जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश यदि तीन मास में एक बार अपनी पैंशन राशि अपने खाते से नहीं निकलवाई जाती है तो उसके लिये आपको निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतू निर्देश दिये जाते हैं:—

1. यदि लाभपात्र द्वारा तीन मास में एक बार पैंशन राशि Biometric/physical (by debit vochar) के माध्यम से खाते से नहीं निकलवाई जाती है तो वह राशि बैंक/पोस्ट आफिस/अन्य पैंशन वितरण एजेंसी द्वारा विभाग को वापिस भेज दी जायेगी और विभाग द्वारा भविष्य में पैंशन राशि खातें में नहीं भेजी जायेगी । लाभपात्र द्वारा जिस मास से पैंशन राशि खाते से नहीं निकलवाई जायेगी यदि उसके एक वर्ष के अन्दर–2 लाभपात्र पैंशन लेने बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर विभागीय स्तर पर प्रार्थना पत्र देकर सम्पर्क करता है तो उसकी पैंशन भविष्य में जारी कर दी जायेगी, परन्तु लाभार्थी को बकाया पैंशन राशि की अदायगी नहीं की जायेगी ।
2. लाभपात्र द्वारा जिस मास से पैंशन नहीं निकलवाई गई और यदि उसके एक साल पूरा होने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर विभाग को लाभपात्र प्रार्थना पत्र देकर सम्पर्क करता है तो उसकी पैंशन जारी नहीं की जायेगी और उसका नाम विभाग की वेबसाईट से डिलीट कर दिया जायेगा और सम्बन्धित लाभपात्र अपनी नई पैंशन, नये आवेदन फार्म के साथ नियमानुसार बनवाना सुनिश्चित करेगा ।

धर्म सिंह
अधीक्षक (स0क0),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

पृ0 कमांक 569 /स0क0 (4)/2016, दिनांक 02-06-2016

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ सभी सरपंचों एवं सचिव, नगरपालिका/नगरनिगम को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें कि वह कृपया पैंशन वितरण से सम्बन्धित उक्त अनुसार लाभार्थियों को अवगत करवायें।

धर्म सिंह
अधीक्षक (स0क0),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 10th June, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

Notification

The 10th June, 2011

No. 459-SW(4)-2011.—In partial modification of the following eight Notifications of Haryana Government, Social Justice & Empowerment Department, the Governor of Haryana is pleased to substitute the Para relating to "Mode of Payment" as indicated against each Notification with the new provision appearing after the Table below:

Sr. No.	Notification No.	Date of Notification	Name of Scheme/ Rules	Para No. to be substituted
1.	1988-SW(4)-2006	20th September, 2006	Old Age Allowance Scheme 2005	11
2.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Pension to Widows and Destitute Women Scheme Rules, 1988-89.	11
3.	1921-SW(3)-92	24th August, 1992	Haryana Handicapped Persons Pension Scheme Rules, 1988.	11
4.	786-SW(1)-84	6th February, 1984	Haryana Dependant Children (Grant of Financial Assistance) to Destitute Children Rules, 1978.	12
5.	1803-SW(4)-2006	18th September, 2006	Ladli Social Security Allowance Scheme.	10
6.	1479-SW(4)-2007	19th October, 2007	Haryana Allowance to Eunuchs Scheme Rules, 2007.	8
7.	1322/SW(4)-2007	31st August, 2007	Haryana Allowance to Dwarf Scheme Rules, 2007.	8
8.	2351-SW(4)-2008	30th January, 2009	Financial Assistance to the Non-School Going Disabled Children Scheme.	7

"Mode of Payment :

(a) The Financial Assistance will be distributed under the Electronic Benefits Transfer (EBT) Scheme through the designated bank using biometrics authenticated smart cards.

(b) The Bank will not permit the beneficiary to withdraw the benefits from outside the district in which he is registered.

(c) In case there is no withdrawal from the bank account for a continuous period of 60 days, such bank account will be rendered "inoperative" for the purpose of this Scheme by the Bank with no further credit of benefits under this Scheme into it. Such "inoperative" bank accounts will be reported by the Bank to the Department. In case the beneficiary applies for reoperationalization of the bank account within the next 90 days with justifiable reason, the bank account may be re-operationalized with the permission of the Director. If not, the bank account will be rendered "dead" for the purpose of this Scheme and the benefits credited into the bank account after the last withdrawal would be remitted back to the Department with accrued interest by the Bank.

(d) If a person is detected of having more than one bank account under the EBT Scheme, all his bank accounts will be terminated. He would become ineligible to receive benefits under any Social Security Scheme of the State in future.

(e) Any benefits received under the Scheme by supressing true information or making wrong claim would be recovered as arrears of land revenue with 12% interest per annum."

This issues with the approval of the Council of Ministers, Haryana, as conveyed *vide* U.O. No. 9/52/2011-2 Cabinet, dated 26th May, 2011.

DHANPAT SINGH,

Financial Commissioner & Principal Secretary to Government,
Haryana, Social Justice & Empowerment Department.

48750—C.S.—H.G.P., Chd.